

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अंराई (अजमेर)

- 1 लाल चन्द पुत्र सुण्डा जाट आयु 51 वर्ष निवासी ग्राम मुण्डोती तहसील अंराई, जिला अजमेर राज0  
प्रार्थी

**बनाम**

- 2 गिरधारी पुत्र सुण्डा जाट आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम मुण्डोती तहसील अंराई, जिला अजमेर राज0 वगै.  
अप्रार्थी

किस्म मुकदमा- धारा 212 राज0 का0 अधि01955

2021/57

नंबर 39/2021

ऑनलाइन नंबर 2020/.....

वकील प्रार्थीगण गोविन्ददास जी

वकील अप्रार्थीगण .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.06.2021	यह प्रा.पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री गोविन्ददास जी ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान का0 अधिनियम के तहत पेश किया। प्रा.पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 09.07.2021 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
09.7.2021	पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी स.। लगायत 5 के.ए.फिल मुंडोती तहसील शामिल मिलल। अप्रार्थी स.। 1,5 की कोर्ट वकील श्री आनंद मोहन पुरोहित उप. होकर आगामी पेशी तक वादक बीच भूमिका खेपान नहीं करे वास्तव में क्लेरेडिग ही गइ वकील अप्रार्थी इस जवाब प्र.पत्र पेश जो शामिल मिलल वास्तव जवाब प्र.पत्र पेश व जवाब कल अप्रार्थीगण हेतु पत्रावली दिनांक 13/8/2021 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	

Ar. 11/2021  
वास्तविकता  
स. 09-5

13/8/2021 पत्रावली पेश हई वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं  
उपस्थित। उस्व प्रार्थना पत्र के मूल वाड

38/2021 में शर्जीनामा हो चुका हई अतः

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 को चलाने

का कोई न्यायिष्ठ औचित्य नहीं बनता हई पत्रावली

फैसल शुमाट होऊट नभूट से कम हो

ot Press  
12/8/21

लालच  
13/8/21

उपखण्ड अधिकारी  
अंराई (अजमेर)